कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन (म0प्र0)

//परिपत्र//

क्रमांक 05 /दो–12–7/2024 रायसेन दिनांक : 22/07/2024

प्रायः यह देखा गया है कि वाह्य तहसील न्यायालय गैरतगंज, बेगमगंज, गौहरगंज, सिलवानी, बरेली, उदयपुरा में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों/तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा आकस्मिक/ऐच्छिक/अर्जित/मेडिकल अवकाश आवेदन, कतिपय कर्मचारियों द्वारा स्थानांतरण आवेदन व कार्यालय से कर्मचारियों के स्थानांतरण होने पर उन्हें एक पद से दूसरे पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त प्रतिवेदन व कर्मचारियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने संबंधी उपस्थिति प्रतिवेदन आदि कई अन्य प्रकार के विभिन्न पत्राचार ई–मेल के माध्यम से कार्यालय को प्रेषित किये जाकर पुनः कुछ दिन बाद उन्ही दस्तावेजों की हार्डकॉपी कार्यालय को भेजी जाती है। जिससे न केवल शासकीय स्टेशनरी का अपव्यय होता है बल्कि दो–दो बार आवेदन/पत्र/ज्ञापन/प्रतिवेदन आदि प्राप्त होने से कार्यालय को असुविधा का सामना भी करना पडता है।

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा जारी ई–मेल पालिसी का अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। इसलिए वाह्य तहसील न्यायालयों में पदस्थ समस्त न्यायिक अधिकारियों/तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि आवेदन/पत्र/ज्ञापन/प्रतिवेदन अथवा अन्य किसी भी प्रपत्र को ई–मेल से कार्यालय को प्रेषित करने के पूर्व प्राथमिकता तय करते हुए यह सुनिश्चित करें कि पेपर को ई–मेल से भेजना कितना आवश्यक है। यदि पेपर को ई–मेल से भेजा जा रहा है तो उसकी हार्डकॉपी भेजना आवश्यक नहीं है। जिस पेपर को ई–मेल से भेजा जा रहा है, उस पेपर के सबसे ऊपर दायें तरफ ई–मेल लिखना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार का पत्राचार किसी भी कर्मचारी के व्हाटशप पर प्रेषित न करते हुए कार्यालय की अधिकृत ई–मेल आईडी पर ही प्रेषित करें।

साथ ही जिला मुख्यालय पर पदस्थ जूनियर सिस्टम एनॉलिस्ट/डी0एस0ए0 को भी निर्देशित किया जाता है कि वाह्य जिला स्थापनाओं/तहसील स्थापनाओं से जो प्रपत्र/पेपर ई–मेल से इस स्थापना को प्राप्त होते हैं, ऐसे प्रपत्रों का प्रिंट आऊट निकालने के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि उक्त प्रपत्र अनुसार चाही जा रही जानकारी का संबंध इस स्थापना से है अथवा नहीं। साथ ही जिला मुख्यालय एवं वाह्य तहसील न्यायालयों में पदस्थ जूनियर सिस्टम एनालिस्ट/डी0एस0ए0/आई0टी0 असिस्टेंट को यही भी निर्देशित किया जाता है कि पेपर ई–मेल करने के पूर्व वह भी यह सुनिश्चित करें कि पेपर में कोई कमी तो नहीं है एवं उक्त निर्देशों का वह भी कठोरता से पालन करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करें।

यदि उक्त निर्देशों की किसी के द्वारा अवहेलना की जाती है तो संबंधित के विरूद्ध आदेशों/निर्देशों की अवहेलना के संबंध में कार्यवाही की जावेगी।

Sd/-

(अनिल कुमार सोहाने)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायसेन म.प्र.

पृष्ठां.कमांक 3208/दो–12–7/2024 रायसेन दिनांक : 22/07/2024

प्रतिलिपि :–

(1). समस्त न्यायिक अधिकारीगण रायसेन, गैरतगंज, बेगमगंज, गौहरगंज, सिलवानी, बरेली, उदयपुरा।

(2). प्रभारी अधिकारी नजारत, मालखाना, प्रतिलिपि, अभिलेखागार, कम्प्यूटर, ग्रंथालय, कार्यालय अनुभाग रायसेन, गैरतगंज, बेगमगंज, गौहरगंज, सिलवानी, बरेली, उदयपुरा।

(3). प्रशासनिक अधिकारी/उप प्रशासनिक अधिकारी/लेखापाल/सहायक लेखापाल/प्रेषक लिपिक कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन।

... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

22/7/2024

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायसेन म.प्र.